

24



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली, सदस्य

II/विधि/श्यापुर/भू.रा/2018/1813

निगरानी प्रकरण क्रमांक-532- दो/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक
04-03-2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील श्योपुर के प्रकरण
क्रमांक 28/2013-14/अ-27

- 1- हंसराज पुत्र ग्यारसा माली
- 2- पप्पू पुत्र ग्यारसा माली
- 3- बद्रीबाई पत्नी ग्यारसा माली

निवासीगण-ग्राम सोईकलों तहसील व जिला श्योपुर

-----आवेदकगण

1- उर्मिला पुत्री कन्हैयालाल

परसराम पुत्र ग्यारसा

3- कैलाश पुत्र ग्यारसा माली

निवासीगण-ग्राम सोईकलों तहसील व जिला-श्योपुर

-----अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. एवं धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्रीमानजी,

उपरोक्त निगरानी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक
11-1-2018 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है। उपरोक्त आदेश में
सहवन दिनांक 11-1-208 अंकित हो गया है जिसके स्थान पर 11-1-2018 अंकित
होना है। उपरोक्त त्रुटि सुधार किया जाना आवश्यक है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है, कि 11-1-208 के स्थान पर
11-1-2018 सुधार किया जावे।

प्रार्थी


उर्मिला पुत्री कन्हैयालाल व अन्य दो -----अनावेदकगण

द्वारा अभिभाषक ए.के.अग्रवाल

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक विविध/श्रयोपुर/भूरा/2018/1813

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरो एवं अभिभाषकोआदि के हस्ताक्षर
03/07-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 मूल सुधार बावत प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 532-दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 के स्थान पर 11.1.208 अंकित हो गया है। यह त्रुटि आदेश के प्रथम पृष्ठ पर पारित आदेश के कॉलम में हुई है। इसे सुधार की जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क्रमांक निगरानी 532-दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 11.1.208 के स्थान पर 11.01.2018 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p>	<p style="text-align: right;"> सदस्य</p>